सं0–4432 / 69–1–2000–45(सा) / 2000

प्रेषक,

श्री एस. आर. लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 7 दिसम्बर, 2000

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय : जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्रों में "बुक बैंक" की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में या उसके समीप निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग अन्य सामाजिक प्रयोजनों के साथ–साथ मलिन बस्तियो मे निवास कर रहे निर्धनतम परिवारों के बच्चे, विशेष तौर पर लडकिया जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रहती हैं, को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु "बुक बैंक" की स्थापना प्रथम चरण में सभी नगर निगम वाले जनपदों में प्रयोग के तौर पर लागू किया जायेगा और इस योजना के सफल होने पर इसे अन्य जनपदों में प्रयोग के तौर पर लागू किया जायेगा। प्रत्येक नगर निगम वाले जनपदों में एक वर्ष में पाच सामुदायिक केन्द्रों पर "बुक बैंक" की स्थापना की जायेगी। "बुक बैंक" मे पुस्तकों की उपलब्धता एवं उसके रख–रखाव इत्यादि की निम्न प्रक्रिया होगी :–

(1) मलिन बस्तियों के आस–पास विकसित कालोनियों के सम्पन्न परिवारों जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर अगली कक्षा में उत्तीर्ण होकर जाते है से उपयोग की गई पुस्तकों को संबंधित सी.डी.एस. / नेवर हुड ग्रुप की महिलाओं द्वारा एकत्रित करके सामुदायिक केन्द्र पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) जिलाधिकारी / परियोजना निदेशक द्वारा जनपदों में सार्वजनिक रूप से सम्पन्न परिवारों से मानवीय आधार पर अपील की जायेगी की वह अपने बच्चों की उपभोग की जा चुकी पुस्तकों को दान कर दें। संबंधित सी.डी.एस. द्वारा

व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करते हुए पुस्तकों को एकत्रित कर सामुदायिक केन्द्र पर रखा जायेगा। जिस सी.डी.एस. द्वारा प्रश्नगत कार्य में अच्छा कार्य किया जायेगा उन्हें जिलाधिकारी/विभाग द्वारा उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया जायेगा।

(3) उन विषयों की पुस्तकें जो उपरोक्तानुसार दान के माध्यम से प्राप्त नहीं होंगी और जिलाधिकारी द्वारा उन विषयों की पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही हो, को एन.सी.ई.आर.टी./सरकारी दरों पर क्रय की जायेगी तथा इसका व्यय जिला स्तर पर निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के कम्यूनिटी स्ट्रेक्चर योजना/एन.एस.डी.पी. के सामाजिक मद्य के अन्तर्गत औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

(4) प्रत्येक सामुदायिक केन्द्र पर एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र की भी व्यवस्था की जाये और सूचना विभाग द्वारा शासन के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से संबंधित प्रकाशित सामग्री भी इस केन्द्र पर रखी जायेगी।

(5) सामुदायिक केन्द्र पर उपलब्ध पुस्तकों का रख–रखाव संबंधित सी.डी.एस. द्वारा परियोजना अधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा।

(6) सामुदायिक विकास समिति के सचिव होने के नाते संबंधित डूडा के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी माह में कम से कम एक बार केन्द्रों पर जाकर पुस्तकों का रख–रखाव एवं उनके वितरण का निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण आख्या सामुदायिक केन्द्र पर उपलब्ध रजिस्टर पर अंकित करेंगे। किसी प्रकार की कमी पायी जाने पर इसका निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के संज्ञान में तथ्यों को लाया जायेगा।

(7) मलिन बस्तियों में इस योजना का व्यापक प्रचार करने के पश्चात सभी इच्छुक पात्र बच्चों को यह सुविधा सामुदायिक केन्द्र पर उपलब्ध करायी जायेगी और जो बच्चे पुस्तकों को घर में ले जाकर पढना चाहेंगे उनको 15 दिन के लिए पुस्तकें जारी की जा सकेंगी।

(8) पुस्तकों के आदान प्रदान हेतु एक कार्ड बनाया जायेगा तथा केन्द्र पर उपलब्ध समस्त पुस्तकों का ब्योरा रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(9) केन्द्र पर उपलब्ध पुस्तकों को सुरक्षित रखने तथा पठन–पाठन की प्रक्रिया हेतु दो गोदरेज की अलमारी, चार कुर्सी, एक मेज, एक रैक जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत क्रय कर केन्द्र पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक केन्द्रों में बच्चों को रात्रि में पढ़ने के लिए बिजली, पेट्रोमेक्स अथवा गैस इत्यादि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी, इस सामग्री पर होने वाला व्यय पुस्तक के क्रय की धनराशि रू.

50000/= के अतिरिक्त होगा।

(10) प्रत्येक सामुदायिक केन्द्र पर पुस्तकों के क्रय पर अधिकतम कुल रूपया 50,000/= की ही धनराशि संबधित मद से व्यय की जायेगी।

(11) "बुक बैंक" योजना का उपयोग शहरी मलिन बस्तियों में निवास कर रहे निर्धनतम परिवारों के बच्चों द्वारा ही किया जायेगा।

(12) प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर पुस्तकें संबधित सी.डी.एस./नेवर हुड ग्रुप की महिलाओं द्वारा जारी की जायेगी, जिसकी वापसी का उत्तरदायित्व भी संबधित सी.डी.एस./नेवर हुड ग्रुप का होगा।

(13) "बुक बैंक" हेतु पुस्तकों का क्रय/रख-रखाव/समीक्षा इत्यादि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के मार्ग निर्देशन में किया जायेगा और डूडा की प्रत्येक गवर्निंग बाडी में इसकी समीक्षा की जायेगी।

(14) "बुक बैंक" पर उपलब्ध पुस्तकों/सामग्री इत्यादि का विवरण डूडा कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगा। डूडा द्वारा इसकी विस्तृत जानकारी समय-समय पर सूडा को उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

(एस. आर. लाखा)
सचिव

संख्या- 4432(1)/69-1-2000-45 (सा.)/2000 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1). निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

(2) नगर निगम के समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, डूडा।

(3) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव